

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1: राष्ट्रीय परियोजनाओं में समाविष्ट एजेंसियां

परिशिष्ट 2: परियोजना के अनुमोदन के लिए प्रक्रिया प्रवाह

परिशिष्ट 1: राष्ट्रीय परियोजनाओं में समाविष्ट एजेंसियां

केन्द्र सरकार	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय	निवेश समाशोधन जारी करना तथा परियोजना का समग्र समन्वय
	आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति	परियोजना के लिए वित्त पोषण प्रतिमान निर्धारित
	केन्द्रीय जल आयोग	परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक संवीक्षा
	केन्द्रीय जल कमीशन के क्षेत्रीय कार्यालय	राज्य परियोजना प्रस्तावों की प्रारंभिक संवीक्षा
	स्वतंत्र संगठन यथा केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला	परियोजनाओं की निगरानी एवं गुणवत्ता लेखापरीक्षा
	पोलावरम परियोजना प्राधिकरण	पोलावरम परियोजना के प्रबंधन के लिए निर्मित विशिष्ट प्राधिकरण
राज्य सरकार	केन्द्रीय डिजाइन संगठन	परियोजना के डिजाइन को प्रमाणित करने के लिए राज्य निकाय
	राज्य स्तर तकनीकी सलाहकार समिति	परियोजना की तकनीकी-आर्थिक संवीक्षा के लिए राज्य निकाय
	सिंचाई विभाग	बी.सी.आर. के लिए कृषि संबंधी आंकड़े प्रदान करना
	जल संसाधन विभाग	परियोजना के लिए कार्यान्वयन विभाग
	राजस्व विभाग	भूमि अधिग्रहण का निरीक्षण करना तथा आर. एंड आर. उपायों का वितरण
	संयुक्त उपक्रम	परियोजना विशिष्ट अंतर-राज्य जे.वी.एस. जैसे किशु कॉर्पोरेशन लिमिटेड

परिशिष्ट 2: परियोजना के अनुमोदन के लिए प्रक्रिया प्रवाह

